सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना

पिछड़ा वर्ग के अयार्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना नियम 2003-2004 पिछड़े वर्ग के अयार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने पर वित्तीय वर्ष 2003-04 से प्रोत्साहन योजना नियम 2003-04 लागू करने तथा योजना को प्रारभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के विस्तृत नियम निनानुसार हैं :-

योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग के अयर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं मे सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन स्वरूप वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रोत्साहन योजना का स्वरूप
1. यह योजना मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना कहलायेगी।
2. यह योजना पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में होगी।
3. योजना मध्यप्रदेश में घोषित अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग के जाति/उपजाति/जाति समूह के अयार्थियों के लिए लागू होगी।
4. योजना की पात्रता के लिए म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए अयार्थी के माता-पिता/अभिभावक की आय पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होगा।

प्रोत्साहन राशि

- संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले पिछड़ें वर्ग के पात्र प्रतियोगियों को :-
  - प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर : रुपये 25,000/-
  - मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर : रुपये 50,000/-
  - साक्षात्कार उपरान्त चयन होने पर : रुपये 25,000/-
- म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले पिछड़े वर्ग के पात्र प्रतियोगियों को :-
  - प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर : रुपये 15,000/-
  - मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर : रुपये 25,000/-
  - साक्षात्कार उपरान्त चयन होने पर : रुपये 10,000/-

यह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर केञ्वल एक बार देय होगी।

स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार

- पिछड़े वर्ग के अयार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के फलस्वरूप प्रोत्साहन राशि की स्वीकृञ्ति का अधिकार संबंधित जिला कले ञ्टर को रहेगा।

- सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रत्येक स्तर पर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अयार्थियों को संबंधित जिले के सहायक आयुक्त,/जिला संयोजक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया

प्रोत्साहन राशि के लिए प्रत्येक अयार्थी को सहायक आयुक्त,/जिला संयोजक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में उपलध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अर्हताकारी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद प्रस्तुत आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।